डिकी बमूकद्दमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी : अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 103/2024

वादी

1. मनोहरसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी डेह फौत के कायम मुकामान'–

1/1– सजनसिंह पुत्र मनोहरसिंह

1/2– नत्थूकंवर पत्नि मनोहरसिंह

1/3– पूनमकंवर पुत्री मनोहरसिंह

1/4– मनीषा कंवर पुत्री मनोहरसिंह

1/5– सुमन कंवर पुत्री मनोहरसिंह

1/6– प्रिंयका कंवर पुत्री मनोहरसिंह नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता नत्थूकवंर

1/7– रेखा कंवर पुत्री मनोहरसिंह जातियान राजपूत निवासीगण डेह तहसील डेह

बनाम

प्रतिवादीगण

1. डूंगरसिंह पुत्र भंवरसिंह
2. कल्याणसिंह पुत्र भंवरसिंह
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डेह
4. शाखा प्रंबधक, एस.बी.आई. शाखा डेह

दावा अधीन धारा 53, 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति –

1. वादी 1/1 से 1/7 कि ओर से श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी एडवोकेट
3. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री शिवकुमार पारासर एडवोकेट

–:: डिक्री आदेश ::–

यह मुकद्मा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री शिवकुमार पारासर एडवोकेट की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता हैं व डिगरी दी जाती हैं कि :–

मौजा डेह के खसरा नम्बर 2558/274 रकबा 0.9470 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2923/274 रकबा 1.6754 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 3052/2764 रकबा 1.5135 हैक्टेयर को पुनः एक रकबा एक रकबा घोषित किया जाकर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है कि उक्त एक किये गये रकबे में से **पश्चिमि भाग 2.8085 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 डूंगरसिंह कि खातेदारी का घोषित किया जाता है तथा पूर्वी भाग 2.8085 हैक्टेयर को प्रतिवादी संख्या 2 कल्याणसिंह की खातेदारी का घोषित किया जाता है एवं बीच का 1.5944 हैक्टेयर भाग को वादीगण संख्या 1/1 से 1/7 के सह हक बंट कब्जा काश्त व सहखातेदारी का घोषित का घोषित किया जाता है।**

उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरों पर रहन यथावत रहेगा। बैंक सूचित हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner